फर्द अहकाम

साधरी देवी **बनाम** ग्रा.पं. कालाडेरा व अन्य

न्यायालय

संख्या 08/2019

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	9/6/22	व.प्र. उप. प्रा.पत्र 09R7 जवाब/ बहस हेतु समय दिया जावे बहस प्रा.पत्र पत्रावली वास्ते जवाब/ बहस प्रा.पत्र 09R7 हेतु दिनांक 20/7/22 को पेश हो। Sd/-	
	20/7/22	व.प्र. उप. प्रा.पत्र [illegible] 7 पर अधिवक्ता की बहस सुनी गई रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 के विरुद्ध पूर्व में कोई एकपक्षीय कार्यवाही नहीं हो रही है अतः इस प्रा.पत्र का कोई औचित्य नहीं है। खारिज किया प्रा.पत्र 09 R7 का खारिज किया जाता है अपील पर अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी गई अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट द्वारा पत्रावली में अन्तिम बहस हेतु समय मांगा गया। बहस हेतु अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट को अन्तिम अवसर दिया जाता है पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 27/7/22 को पेश हो।	[signature] 20-7-22 प्रार्थी/नं. 2 की ओर से Noted date 8-7-22
	27/7/22	व. अपीलान्ट [illegible] रेस्पोन्डेन्ट का पूर्व तारीख पेशी पर [illegible] उपस्थित आगामी पेशी हेतु सूचित किया गया था व. रेस्पोन्डेन्ट बावजूद इन्तजार के अनुपस्थित है व. अपीलान्ट की	

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:25:18 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		बहस सुनि गई बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील अपीलान्ट की स्वीकार की जाती है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बैजल शामिल होकर दर्ज नम्बर से कम होकर रजिस्टर हो। 4.8.22

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:25:18 IST
Reason: SelfAttested

ालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

08/2019

उनवान

1. सायरी देवी पत्नी स्व० श्री भवानीशंकर, जाति मीणा, निवासी ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. गिरीराज पुत्र स्व० श्री भवानीशंकर, जाति मीणा, निवासी ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. भंवरी देवी पत्नी स्व0 रामप्रताप, जाति मीणा, निवासी ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. राकेश पुत्र स्व0 बनवारी, जाति मीणा, निवासी ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर ।
5. बृजेश पुत्र स्व0 बनवारी, जाति मीणा, निवासी ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर ।
6. बरजी देवी पत्नी स्व0 बनवारी, जाति मीणा, निवासी ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–अपीलार्थी–

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत कालाडेरा, तहसील चौमूं, पंचायत समिति गोविन्दगढ, जिला जयपुर।
2. मंजू देवी उर्फ सन्तोष देवी पुत्री स्व0 रामप्रताप, पत्नी श्री मालीराम, जाति मीणा, निवासी भूरडों का बास, वाया एवं तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय चौमूं, तहसील चौम, जिला जयपुर।
4. उप–पंजीयक महोदय चौमूं, तहसील चौम, जिला जयपुर

प्रत्यर्थीगण/रेस्पोडेन्ट्स–

अपील अधीन धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध निर्णय श्रीमान् सरपंच ग्राम पंचायत कालाडेरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर, द्वारा मृतक रामप्रताप पुत्र इन्दा जाति मीणा का विरासती तस्दीक अवैध नामान्तकरण संख्या 264 पर पारित निर्णय दिनांक 20.09.2002 के संबंध में।

अधिवक्ता अपीलान्टस– श्री नरेश गुप्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:25:18 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक 27.07.2022

पत्रावली पेश हुई। अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत अ[redacted] के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्टस एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 जाति से मीणा होकर अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, तथा अपीलान्टस तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का परिवार हिन्दू उत्तराधिकार विधि से शासित नहीं होकर इनका परिवार अपनी प्रथाओं और रीति रिवाजों, परम्पराओं, रूढियों से शासित होते हैं।

वाके ग्राम कालाडेरा, पटवार हल्का कालाडेरा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कालाडेरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित आराजी खाता संख्या 412 जमाबन्दी सम्वत् 2060–2063 जिसके खसरा नम्बरान् 282, 370, 371, 372, 374, 376, 377, 378, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, कुल किता 20 का कुल रकबा 4.48 हैक्टेयर, जिसमें अपीलान्टस एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पिता/दादा/पति/ससुर का 1/6 हिस्सा निहित था, जिसके निर्णय, डिकी, बंटवारा से बने हाल खसरा नम्बर 374/1 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 376 रकबा 0.38 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 377 रकबा 0.51 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 378 रकबा 0.58 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 381 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 382 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 383 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 384 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 385 रकबा 0.02 हैक्टेयर, कुल किता 9 का कुल रकबा 2.04 हैक्टेयर, में हिस्सा 1/3 अपीलान्टस एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पिता/दादा/पति/ससुर का निहित हैं, एवं खसरा नम्बर 282 रकबा 0.35 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 370 रकबा 0.37 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 371 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 372 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 374/2 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 386/2 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 387/2 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 388 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 389 रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 390 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 391 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 392 रकबा 0.29 हैक्टेयर, कुल किता 12 का कुल रकबा 2.10 हैक्टेयर जिसमें प्रार्थी/अपीलान्टस एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पिता/दादा /पति/ससुर का हिस्सा 4/126 भाग निहित है व आराजी खाता संख्या 413 जमाबन्दी सम्वत् 2060–2063 खसरा नम्बर 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830 कुल किता 19 का कुल रकबा 12.21 हैक्टेयर में प्रार्थी/अपीलान्टस एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पिता/दादा/पति/ससुर का हिस्सा 1/6 भाग निहित था, जिसके निर्णय व डिकी बंटवारा से बने हाल खसरा नम्बर 1812/1 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1813/3 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1814/4 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1815/1 रकबा 1.56 हैक्टेयर, कुल किता 4 का कुल रकबा 2.00 हैक्टेयर, उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी/अपीलान्टस एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पिता/दादा/पति/ससुर का सम्पूर्ण हिस्सा निहित हैं एवं खसरा नम्बर 1812/2 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1813/2 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1814/3 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1828/2 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1829/2 रकबा [illegible] हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1830/2 रकबा 0.06 हैक्टेयर, कुल किता 6 का कुल रकबा [illegible] हैक्टेयर में प्रार्थी/अपीलान्टस एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पिता/दादा/पति/ससुर का हिस्सा 1/12 भाग निहित होकर उक्त कृषि भूमियां स्व0 रामप्रताप पुत्र इन्दा, जाति मीणा, की कृषि भूमि चली आ रही हैं, जो कि उक्त भूमियां अपीलान्टस की पैतृक आराजीयात हैं जो विवादित हैं। उक्त स्व0 रामप्रताप का सजरा खानदान निम्न प्रकार से:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:25:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं जिला जयपुर

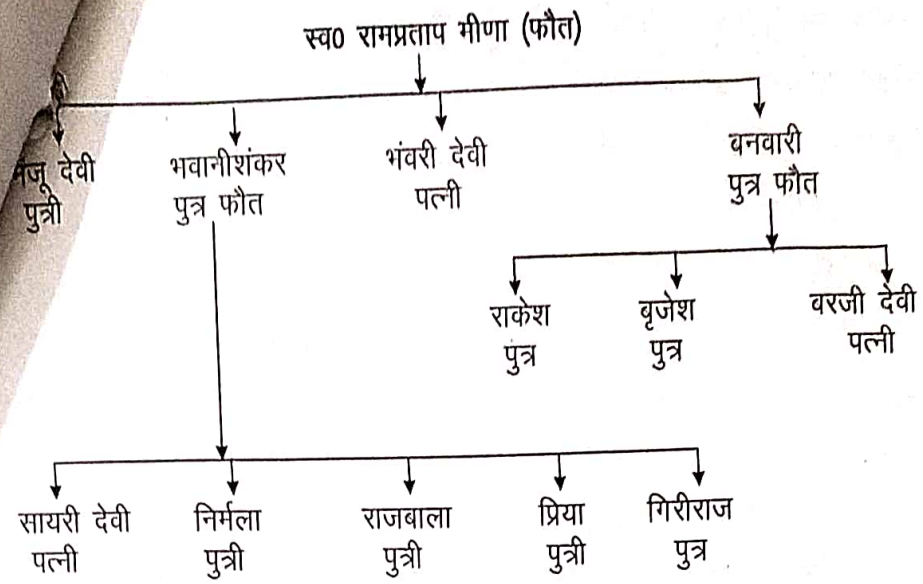

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने पटवारी हल्का व ग्राम पंचायत कालाडेरा से मिलीभगत करते हुये विवादग्रस्त भूमि मद नम्बर 2 अपील को स्व० रामप्रताप पुत्र इन्दा का विरासती नामान्तकरण संख्या 264 भराकर दिनांक 20–09–2002 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा तस्दीक कर दिया गया, उक्त अवैध कार्यवाही को अंजाम देते हुये रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपीलान्टस के पैतृक हक अधिकारों पर कुठाराघात किया हैं, तथा विधि विरुद्ध अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किया हैं। जिससे व्यथीत होकर अपीलान्टस यह अपील प्रस्तुत कर रहे हैं, एवं विवादग्रस्त भूमि में अपीलान्टस के पैतृक हक अधिकार निहित हैं।

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हक में तस्दीक उक्त नामान्तकरण संख्या 264 दिनांक 20–09–2002 प्रारम्भ से ही शुन्य है अर्थात AB INISIO VOID होने के कारण बमुकाबले अपीलान्टस प्रभाव शुन्य है एवं काबिले निरस्त किये जाने योग्य है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से मिलीभगत करते हुये मिन अपीलान्टस को बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एवं विना विधिक वारिसानों की जांच किये बगैर ही रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा पटवारी हल्का से मिलीभगत करते हुए अपीलार्थीगण के हक अधिकारों का हनन करते हुये व अपीलान्टस के साम्पत्तिक हक व अधिकारों पर क्षति कारित करने हेतु, वास्तविक तथ्यों को पूर्णतया नजर अन्दाज करते हुए अवैध व विधि विरुद्ध भरकर नामान्तकरण संख्या 264 रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हक में सरपंच ग्राम पंचायत कालाडेरा ने दिनांक 20–09–2002 को [illegible] कर दिया जो कि विधि विधान के सुरथापित सिद्धान्तों एवं नैसर्गिक [illegible] हैं।

प्रशासनिक बॉडी ग्राम [illegible] दिनांक 20–09–2002 को अपना निर्णय पारित करने से पूर्व न तो किसी प्रकार की क[illegible] जांच विधिक वारिसान बाबत की [illegible] ना ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू होगें या नहीं होगें, इस [illegible] कोई जांच नहीं की गई, तथा स्व० रामप्रताप पुत्र इन्दा जाति मीणा के विधिक वारिसानों के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं ली गई व ना ही अपीलान्टस को किसी प्रकार का कोई नोटिस व सूचना ही दी गई, बल्कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की मिलीभगत में

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:25:18 IST
Reason: Self Attested

हल्का पटवारी ने नामान्तकरण भर कर रिपोर्ट कर दिया और पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर ही नामान्तकरण संख्या 264 दिनांक 20–09–2002 पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपना निर्णय पारित कर दिया गया, जो कि न्याय व विधि की संज्ञा में नहीं आता एवं निर्णय मातहत अदालत मनसुख किये जाने योग्य है।

स्व0 रामप्रताप पुत्र इन्दा मीणा के विधिक वारिसानों की पूर्ण जानकारी हल्का पटवारी को प्रारम्भ से ही थी, ओर पटवारी हल्का को इस बात का ज्ञात भी था कि इस नामान्तकरण संख्या 264 में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होगें, इसके बावजूद भी अपीलान्टस को नोटिस व सुनवाई का मौका दिये बिना ही रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को लाभ पहूँचाने की नियत से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हक में नामान्तकरण संख्या 264 भरकर तस्दीक कर दिया गया जो कि पूर्णतया अवैध एवं निरस्तनीय हैं तथा अपीलाधीन नामान्तकरण से अपीलान्टस के हक अधिकार गम्भीर रूप से प्रभावित होते हैं, जिस कारण नामान्तकरण संख्या 264 दिनांक 20–09–2002 प्रभाव शुन्य एवं निरस्तनीय हैं।

अपीलान्टस को दिनांक 04–08–2019 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा उक्त आराजीयात को बेचान करने की धमकी देने व उसके पश्चात् दिनांक 06–08–2019 को उक्त आराजीयात की जमाबन्दी की नकले लेने व तत्पश्चात् नामान्तकरण की नकल लेने व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का नाम जमाबन्दी में गलत तरीके से नामान्तकरण दर्ज होने की जानकारी हुई एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने विवादित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड में अपने नाम के इन्द्राज के आधार पर दिनांकरू–04–08–2019 से अब तक विवादग्रस्त आराजीयात को खुर्द बुर्द करने व बेचान करने की निरन्तर धमकीयां तक दी जा रही हैं, जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का नाम इन्द्राज अपीलान्टस के अधिकारो के विरूद्ध क्लेमद बेअसर, एवं प्रारम्भतः शुन्य हैं तथा अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 264 दिनांक 20–09–2002 अवैध प्रकिया के तहत तस्दीक होने से एवं विधि विधान के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं।

अपीलान्टस को उक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम इन्द्राज होने की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 06–08–2019 को पटवारी हल्का से विवादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकार्ड की नकल व जानकारी लेने एवं तत्पश्चात् नामान्तकरण संख्या 264 की नकल लेने पर हुई हैं तथा नामान्तकरण संख्या 264 से व्यथीत होकर जानकारी दिनांक से श्रीमान के समक्ष अपील तैयार करवा कर अपील अपीलान्टस निम्न प्रकार से सुदृढ़ आधारों पर पेश [illegible]

1. मान्य ग्राम पंचायत कालूडेरा [illegible] लिखा गया हैं की [illegible] आदेश बाबत नामान्तकरण संख्या 264 [illegible]क 20–09–2002 विधि विधान के विपरीत एवं अवैध होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं।

882

उपखण्ड अधिकारी [illegible] जयपुर

2. प्रशासनिक बॉडी ने विवाद के वास्तविक तथ्यों को समझे बिना ही अपीलान्टस के सम्बन्ध में बिना कोई जांच किये बिना ही, कतई परवर्स एवं विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया हैं। जो निरस्त किये जाने योग्य हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:45:18 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासनिक बॉडी ग्राम पंचायत एवं पटवारी हल्का को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हित में हक तय करने का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं था, फिर भी ग्राम पंचायत ने अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 264 को तस्दीक कर दिया जो पूर्णतया गलत एवं अवैध होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं।

4. प्रशासनिक बॉडी ने अपना निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्टस को कोई विधिवत नोटिस नहीं दिया हैं और ना ही कोई विधिवत सुनवाई की हैं, इस विधि व न्यायिक दोष के कारण भी प्रशासनिक बॉडी का निर्णय मनसुख किये जाने योग्य हैं।
5. प्रशासनिक बॉडी ने अपना निर्णय पारित करने से पूर्व ना ही तो अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 264 के सम्बन्ध में अपनाई गई प्रक्रिया में किसी प्रकार की कोई जांच करायी गयी हैं, बल्कि हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर ही अपना निर्णय सादिर किया गया हैं, जबकि स्व0 रामप्रताप पुत्र इन्दा के विधिक वारिसान में हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम लागू नहीं होने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का कोई हक हिस्सा निहित नहीं हैं। जिन तथ्यों पर प्रशासनिक बॉडी द्वारा गौर ना कर नामान्तकरण संख्या 264 पर आदेश पारित कर दिया जो न्याय व विधि निर्णय की संज्ञा में नहीं आता हैं। इस दोष के कारण भी नामान्तकरण संख्या 264 पर निर्णय प्रशासनिक बॉडी मनसुख किये जाने योग्य हैं।
6. निर्णय प्रशासनिक बॉडी कानूनी निर्णय की परिभाषा में न आने व विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से भी निर्णय प्रशासनिक बॉडी निरस्त किये जाने योग्य हैं।
7. प्रशासनिक बॉडी का निर्णय विधि विरूद्ध हैं एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिपादित नियमों व उपनियमों एवं लैण्ड रिकार्ड रूल्स के प्रावधानों के प्रतिकूल होने के कारण निर्णय प्रशासनिक बॉडी न्यायोचित नहीं होने के कारण मनसुख किये जाने योग्य हैं।
8. प्रशासनिक बॉडी का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से भी निर्णय निरस्त किये जाने योग्य हैं।
9. प्रशासनिक बॉडी ने अपने निर्णय पारित करते समय अपने क्षेत्राधिकार व अपने विवेकाधिकारों का अनाधिकृत प्रयोग करते हुए, नामान्तकरण संख्या 264 पर निर्णय सादिर किया हैं जो न्यायोचित नहीं होने के कारण मनसुख किये जाने योग्य हैं।
10. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होने के तथ्य को छुपाया हैं, तथा अनुसूचित जनजाति के सन्दर्भ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड 25 की अनुपालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का उक्त नामान्तकरण व विवादित भूमि में कोई कानूनन हक व हिस्सा निहित नहीं होता था, और रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपीलान्टस को उनके पैतृक सम्पत्ति से वंचित कर देने के कुत्सित उद्धेश्य से ही पटवारी हल्का एवं सरपंच ग्राम पंचायत कालाडेरा से अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक करवाया हैं जो कि पूर्णतः अवैध होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:25:18 IST
Reason: SelfAttested

अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार व भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड 25 के अर्थान्तर्गत यह अधिनियम लागू नहीं होता है, अर्थात पुनःविवाह करने के पश्चात विधवा का अपने पति की सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं रहता, और विवाहित पुत्री का भी पिता की पैतृक सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं रहता हैं। जिस कारण भी अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय हैं।

12. वादग्रस्त आराजीयात में कानूनन अपीलान्टस का हक अधिकार व हित निहित हैं जिससे उन्हें महरूम नहीं किया जा सकता हैं, अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 264 प्रारम्भ से ही शुन्य एवं अवैध हैं, जो कि निरस्त किये जाने योग्य हैं।

13. विधि का सुस्थापित सिद्धान्त हैं कि अनुसूचित जन जाति से सम्बन्धित सम्पत्तिक विवादों में विवाह के उपरान्त पूर्व पति की सम्पत्ति में पत्नी का कोई हक हिस्सा नहीं रहता हैं, अर्थात ऐसी स्थिति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता हैं तथा जहाँ हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता हैं और पक्षकार अनुसूचित जन जाति से सम्बन्ध रखता हें वहा अनुच्छेद 366 खण्ड 25 के प्रावधान लागू होते हैं वहा पैतृक अथवा पिता की सम्पत्ति में विवाहित पुत्री का कोई हक अधिकार सननिहित नहीं होता हैं, ऐसी सिथति में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम जो नामान्तकरण संख्या 264 दिनांक 20–09–2002 को दर्ज किया गया वह भारतीय संविधान के विपरीत हैं एवं निरस्तनीय हैं।

14. अपीलान्टस को अपीलाधीन नामान्तकरण की सर्वप्रथम जानकारी 06–08–2019 को पटवारी हल्का से विवादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकार्ड की जानकारी व नकल लेने एवं तत्पश्चात् नामान्तकरण संख्या 264 की नकल लेने पर हुई हैं और अपीलान्टस ने जानकारी के दिन से अन्दर मियाद माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दी हैं।

15. नामान्तकरण संख्या 264 पर प्रशासनिक बॉडी का निर्णय अवैध व प्रारम्भतः ही शुन्य हैं जो कि कानून के विरूद्ध हैं तथा प्रारम्भतः ही शुन्य एवं कानून के विरूद्ध अधिकार विहिन आदेशों पर मियाद बिन्दु भी लागू नहीं होता हैं।

16. रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को भूस्वामी होने से पक्षकार बनाया हैं तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 4 को उप–पंजियक होने से पक्षकार बनाया गया हैं तथा अपीलान्ट संख्या 1 व 2 स्व० रामप्रताप पुत्र इन्दा के पुत्र स्व० भवानीशंकर के वैधिक वारिसान हैं एवं स्व० भवानीशंकर की पुत्रियां निर्मला, राजबाला, [illegible] विवाहित होकर अपने ससुराल में निवास कर रही हैं, जिनका उक्त आराजीयात में कानूनन हक अधिकार नहीं होने से उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:25:18 IST
Reason: SelfAttested

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि अपील अपीलान्टस स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम पंचायत कालाडेरा द्वारा पारित अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 264 दिनांक 20–09–2002 को निरस्त फरमाने के आदेश प्रदान करें।

पत्रावली पेश हुई। दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस की तलबी की गई। ...गण/अपीलांटस की ओर से निम्न रूलिंगस एवं कानून व नियमों की प्रतियाँ पेश की गई:-

1. हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा-2
2. RLW 2006 (2) पेज 695 Rajasthan High Court Gulab vs Board of Revenue and ots.
3. RLW 2006 (2) पेज 813 Board of Revenue for Rajasthan मूलचन्द बनाम मंगली व अन्य
4. निर्णय RAA सीकर अपील सं0 59/2010 निर्णय दिनांक 15.02.2011
5. निर्णय तहसीलदार धोद मु0 सीकर मु0न0 08/2018 निर्णय दिनांक 07.06.2018
6. नामान्तकरण संख्या 236 दिनांक 22.06.2018 जरिये तहसीलदार धोद (सीकर)
7. निर्णय Rajasthan High Court दिनांक 01.02.2006 गुलाब बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राजस्थान अजमेर।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 जरिये दुरभाष पर सम्पर्क करके आगामी पेशी दिनांक 27.07.2022 पर अन्तीम बहस हेतु अवगत कराया गया। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 बावजूद सूचना के अनुपरिथत है अतः बहस अधिवक्ता अपीलान्ट की सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली, रिकार्ड, रूलिंगस एवं कानून व नियमों की प्रतियाँ, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया।

दृष्टांतो का गंभीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। न्यायालय के अभिमत में हस्तगत अपील में निर्णय पारित करने से पूर्व निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जाना आवश्यक है:-

1. क्या नामान्तकरण अपीलांटस की सहमति से हुआ है?
2. क्या यह अपील मियाद के अंतर्गत है?
3. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2) व भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड 25 का व हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर लागु होते है या नही के संबंध में न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों का इस केस पर क्या प्रभाव रहेगा?

बिन्दु संख्या एक पर विचरण के पश्चात हम पाते हैं कि नामान्तकरण का अवलोकन करने से यह स्पष्ट नही है कि अपीलान्ट ने अपनी ... जाहिर की गई हो या उसे इस नामान्तकरण की जानकारी रही हो।

बिंदु संख्या दो पर विचरण करने पर हम पाते है कि अपील नामान्तकरण होने के लगभग 19 वर्षो बाद प्रस्तुत की गई है। अपीलान्टस का कथन है कि उक्त नामान्तकरण उनकी अनुपरिथति में स्वीकार किया गया। अपीलांटस ने नकल प्राप्त दिनांक 06.08.2019 से उक्त अपील तैयार कर दिनांक 29.08.2019 को प्रस्तुत करी है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमन अधिनियम 1963 पर विचार करने के पश्चात यह उचित प्रतीत होता है

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:25:18 IST
Reason: SelfAttested

डिले कंडोन किए जाने या अस्वीकार करने से पूर्व न्यायालय को मेरिट के आधार पर भी विचार करना चाहिए कि डिले कंडोन को अस्वीकार करने का परिणाम यह भी हो सकता हैं कि कोई मेरिटोरियस मामला न्यायालय की दहलीज से ही बाहर हो जाए जबकि विलम्ब माफी स्वीकार करने पर अधिक से अधिक यह होगा कि यह मामला दोनों पक्षों को सुनने के बाद मेरिट के आधार पर निर्णय किया जाएगा। आरआरडी 1998 अर्बन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट बनाम पूनमचंद और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मनोहर बनाम शिवरान वर्ष 2012 में अभिनिर्धारित किया है कि:–

" A liberal approach is an adopted on principle as it is realised that there is no presumption that delay is occasioned deliberately or on account of culpable negligence or on account of malafides. Litigant does not stand to benefit by restoring to delay infact he runs a serious risk. It must be grasped that judiciary is respected not on account of its power to legalise injustice on technical grounds but because it is capable of removing injustice and is epected to do so.

The expression 'sufficient cause' should therefore, be considered with pragmatism in justice oriented process approach rather than the technical detention of sufficient cause for explaining everyday days' delay.

Refusing to condone delay can result in meritorious matter being thrown out at the very threshold and cause justice being defeated. As against this when delay is condoned the highest that can happen is that a case would be decided on the merits after hearing the parties."

अपीलांट का प्रार्थना पत्र दफा 5 का उपयोग लायक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।

बिंदु संख्या तीन पर विचरण के पश्चात हम पाते हैं कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2) में वर्णित अनुसार:– उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसी जनजाति के सदस्यों को, जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (25) के अर्थ के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति हो, लागू न होगी जब तक कि केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यन्यथा निर्दिष्ट न कर दे।

अधिवक्ता अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत दृष्टांतो में माननीय उच्चतम न्यायालय ने गुलाब बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यु व अन्य में कहा है कि [illegible] उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2– अधिनियम के प्राव[illegible] अधिनियम 1956 के प्रावधान अनुसूचित जन[illegible] होते है– अभिनिर्धारित– लागू नही होते– पुनः विवाह करने के पश्चात् विधवा का अ[illegible]पति की सम्पत्ति पर कोई अधिकार नही रहता और विवाहित पुत्री का भी पिता की पैतृक सम्पत्ति पर कोई अधिकार नही रहता। (पद 9 व 10) याचिका स्वीकार की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:25:18 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर द्वारा अपील संख्या 59/2010 उनवानी गोहरी देवी वगै0 बनाम कोशल्या देवी वगै0 में कहा गया है

मीणा जाति अनुसूचित जनजाति पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू नही बल्कि उनका खातेदार की मृत्यु हो जाने पर उसकी बेवा व पुत्रियॉ की कोई हिस्सा देय नहीं खातेदार के जितने पुत्र है उनमें ही उसका हिस्सा विभाजित होगा।

विभिन्न न्यायालयों के उपरोक्त निर्णयों, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2) के विचारण करने से यह स्पष्ट है कि मीणा जाति अनुसूचित जनजाति पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू नही बल्कि उनका खातेदार की मृत्यु हो जाने पर उसकी बेवा व पुत्रियॉ की कोई हिस्सा देय नहीं खातेदार के जितने पुत्र है उनमें ही उसका हिस्सा विभाजित होगा।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, न्यायिक दृष्टातों, बहस अधिवक्ता अपीलान्टस, उपर्युक्त बिन्दुवार विवेचन के आधार पर हस्तगत अपील में न्यायालय का यह अभिमत है कि अपीलांटस द्वारा अपील मियाद अन्तर्गत पेश की गई है व यह स्पष्ट है कि नामान्तकरण के समय अपीलांटस ने किसी प्रकार की लिखित सहमति नही दी थी। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 264 दिनांक 20.09.2002 निरस्त करने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 264 दिनांक 20.09.2002 निरस्त किया जाता है। राजस्व रिकार्ड में इस आधार पर किए गए समस्त पश्चातवर्ती अंकन शून्य व बेअसर घोषित किए जाते है। इस आश्य का अंकन जमाबंदी मे हो। नामान्तकरण संख्या 264 दिनांक 20.09.2002 रिमाण्ड किया जाकर तहसीलदार चौमूं को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण दर्ज कर हितबद्ध पक्षकारों को विधि द्वारा स्थापित प्रकिया अपनाते हुए सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का अपील अवधि व्यतित होने के पश्चात 2 माह में निरस्तारण करें।

निर्णय आज दिनांक 27.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सीमा खेतान
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी चौमू ,जयपुर

उपखण्ड अधिकारी चौमू जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:25:18 IST
Reason: SelfAttested